

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 481/2025

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा, बालौदा जिला झुंझुनूं (राज०) 333033 जरिये प्राधिकृत अधिकारी
—प्रार्थी

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र श्री पालीराम, ग्राम मनोहरपुरा, पोस्ट धुलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333033
2. श्रीमती रोशन पत्नी श्री नरेश कुमार, ग्राम मनोहरपुरा, पोस्ट धुलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333033
3. श्री पालीराम पुत्र श्री नंदराम, ग्राम मनोहरपुरा, पोस्ट धुलवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) पिन कोड 333033

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद पश्चात् "एक्ट" से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत्।

उपस्थित:—

एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा— प्रार्थी बैंक की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 24.11.2025

प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को बड़ौदा ऑटो लॉन खाता संख्या 22570600001358 में रु. 23.00 लाख की ऋण सुविधा दिनांक 11.02.2020 को उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणियों/जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में अन्य सम्पत्तियों के साथ श्री नरेश कुमार पुत्र श्री पालीराम के कार लोन खाता संख्या 22570600001358 में टोयोटा फोर्न्युनर (सिगमा 4), रजिस्ट्रेशन नं० आर०जे० 18 यूई-0044, इंजन नं० 1 जीडीए 393982, चेचिस नं० एमबीजेबीए3एफएस 400821983-0120, निर्माण वर्ष 2020 को प्रार्थी के हक में दृष्टिबंधक किया था व दृष्टिबंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को बैंक के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 23.01.2025 को एन०पी०ए० घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रु० 12,39,757.27/- दिनांक 12.07.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते हैं। उक्त ऋण खाता दिनांक 23.01.2025 को एन०पी०ए० घोषित होने के कारण "एक्ट" की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 17.07.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई व न ही दृष्टिबंधकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त के अनुसार 60 दिन के अन्दर ऋण राशि रु० 12,39,757.27/- दिनांक 12.07.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को निम्न दृष्टिबंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेंट्स कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत विवरण:— श्री नरेश कुमार पुत्र श्री पालीराम के कार लोन खाता संख्या 22570600001358 में टोयोटा फोर्न्युनर (सिगमा 4), रजिस्ट्रेशन नं० आर०जे० 18 यूई-0044, इंजन नं० 1 जीडीए 393982, चेचिस नं०

जिला कलक्टर झुंझुनूं

एमबीजेबीए3एफएस 400821983-0120, निर्माण वर्ष 2020 है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा व संबंधित डॉक्यूमेंट्स का कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करवाने कब्जा कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सुचारु रूप से विक्रय एवं अंतरण (निलामी) हेतु पर्याप्त बल उपलब्ध करवाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि नहीं चुकाई गई है। अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अप्रार्थीगण की सम्पत्ति श्री नरेश कुमार पुत्र श्री पालीराम के कार लोन खाता संख्या 22570600001358 में टोयोटा फोर्न्युनर (सिगमा 4), रजिस्ट्रेशन नं0 आर0जे0 18 यूई-0044, इंजन नं0 1 जीडीए 393982, चेचिस नं0 एमबीजेबीए3एफएस 400821983-0120, निर्माण वर्ष 2020 है का पजेशन प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर एवं

जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू